विचार बिन्दु

अविश्वास आदमी की प्रवृत्ति को जितना बिगाड़ता है, विश्वास उतना ही बनाता है। –धर्मवीर भारती

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की जरूरत

भारत में सरकारी योजनाओं का ज़मीनी क्रियान्वयन व्यावहारिक और कड़वी सच्चाईयां दर्शाता है। नीतियां, कार्यक्रम और योजनाएं कागज़ पर जितनी लोक-कल्याणकारी दिखती हैं, ज़मीन पर उतरते ही उनका स्वरूप बदल जाता है। भ्रष्ट लोग और बिचौलिये व्यवस्था की बारीकियों को समझने में देर नहीं लगाते हैं और एक कमजोर निगरानी तंत्र के चलते योजनाओं के क्रियान्वयन को बिगाड़ देते हैं, जिससे जनता को पूरा लाभ नहीं मिल पाता, उसमें आक्रोश भड़कता है और शासन की बदनामी होती है। इसका उदाहरण मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना आरजीएचएस (राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) है, जिसे लेकर उसके उपयोगकर्ताओं में हमेशा परेशानी का भाव रहता है। हाल ही में जब सरकारी निगरानी तंत्र ने शिकंजा कसा तो योजना के क्रियान्वयन में घुसा भ्रष्टाचार खुल कर सामने आया। राजस्थान सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने और अनावश्यक जांचों पर रोक लगाने के लिए इस योजना में 15 जुलाई से प्री-ऑथराइजेशन व्यवस्था लागू की थी। इस एक कदम से क्लेम में 47 प्रतिशत की कमी आ गई। सरकार की नई व्यवस्था में दो हजार रूपए से अधिक की जांचों के लिए प्री-ऑथराइजेशन को अनिवार्य बनाया गया। इसके साथ ही संदिग्ध गतिविधियों की डिजिटल मॉनिटरिंग भी की गई। इसके नतीजे हैरान करने वाले सामने आये। प्रिस्क्रिप्शन, जांच और क्लेम में व्याप्त अनियमितताओं का पिटारा खुल गया। ऐसे मामले भी सामने आए, जिनमें प्री-ऑथराइजेशन से बचने के लिए मरीजों की कई जांचें एक ही दिन कराने के बजाय अलग-अलग दिनों में लिखी जा रही थीं। कुछ मामलों में तीन दिन की अवधि के भीतर अलग-अलग दिनों पर जांचों के लिए मरीजों को बार-बार अस्पताल बुलाया गया। डिजिटल मॉनिटरिंग में भी प्री-ऑथराइजेशन के दायरे से बाहर रखने के लिए जांचों को अलग-अलग दिनों में करवाने की गतिविधियां उजागर हुई। सरकार ने जांच के आधार पर राज्य में नौ अस्पतालों का ट्रांसेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (टीएमएस) तथा तीन डॉक्टरों की डॉक्टर आईडी ब्लॉक की है। सरकारी प्रेस विज्ञिप्त के अनुसार कोटा के दो अस्पतालों का टीएमएस ब्लॉक किया गया है। दोनों मामलों में एक ही चिकित्सक के एक ही दिन दोनों अस्पतालों में काम करने की बात सामने आई। इसी मामले में डॉक्टर की आईडी भी ब्लॉक की गई। अलवर के एक अस्पताल में एक डॉक्टर के नाम से लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन में अलग-अलग हैंडराइटिंग और हस्ताक्षर पाए गए। अलवर के एक अन्य अस्पताल में कई ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर की सील और हस्ताक्षर का एक जैसा पैटर्न पाया गया। वहीं जोधपुर के अस्पताल में एक चिकित्सक के नाम से दो अलग-अलग हैंडराइटिंग और दो अलग हस्ताक्षर पैटर्न सामने आए। दौसा में एक अस्पताल द्वारा पर्याप्त क्लिनिकल फाइंडिंग और जस्टिफिकेशन के बिना जांचें लिखने तथा जरूरत से ज्यादा जांचों की सलाह देने का मामला सामने आया। दौसा में ही अन्य अस्पताल में डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन के हस्ताक्षर और मैनुअल प्रिस्क्रिप्शन में अंतर सहित अन्य अनियमितताएं पाई गईं। अलवर के एक अस्पताल में करीब 65 मामलों में पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल लिखे जाने तथा कई मामलों में इसके लिए संबंधित क्लिनिकल इंडिकेशन दर्ज नहीं होने की बात सामने आई। कई मामलों में सीरम आयरन जांच भी बिना स्पष्ट लक्षण, क्लिनिकल फाइंडिंग या डायग्नोसिस के लिखी गई। बीकानेर के अस्पताल से जुड़े चिकित्सक की डॉक्टर आईडी भी ब्लॉक की गई है। अलग-अलग मरीजों की शिकायतों के बावजूद बार-बार समान जांचें लिखे जाने का मामला सामने आया। जयपुर के अस्पताल से जुड़े डॉक्टर की आईडी अलग हैंडराइटिंग पाए जाने के कारण ब्लॉक की गई है। इसके अलावा उदयपुर के एक अस्पताल का टीएमएस भी विभिन्न मामलों के चलते ब्लॉक किया गया है।

सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में व्याप्त ऐसा भ्रष्टाचार सर्वविदित है। किन्तु उस पर प्रभावी निगरानी और नियंत्रण सुस्त तथा खुद भ्रष्ट हो चुका प्रशासनिक तंत्र नहीं कर पाता है। इलाज के नाम पर लोगों की जेब पर बढ़ते असहनीय वजन पर नीति निर्माताओं में मंथन चलता रहता है। हाल ही में स्वास्थ्य देखबाल पर संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्टआई है, जिसमें इलाज की व्यवस्था पर बढ़ते खर्चों को कम करने के कुछ सुझाव दिए हैं, जिनमें एक प्रमुख है कि प्राइवेट केयर के लिए इंश्योरेंस फंड देने के बजाय पब्लिक केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक कोश का अधिक इस्तेमाल किया जाना है। हेल्थकेयर फाइनेंसिंग का मुख्य आधार रिस्क पूलिंग होता है। एक सिंगल, पब्लिक पूल होता है, मगर वह सिर्फ़ सैद्धांतिक तौर पर आदर्श होता है। संसदीय समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि 2012-25 के दौरान, हेल्थकेयर का खर्च 105 प्रतिशत बढ़ा, जो उपभोक्ता कीमतों की 98 प्रतिशत बढ़त से भी ज़्यादा था। हालांकि, इसका एक अच्छा पहलू भी है कि 2013-23 के दौरान, कुल हेल्थकेयर खर्च में सरकार का हिस्सा 28.6 प्रतिशत से बढ़कर 43.7 प्रतिशत हो गया, जिससेइलाज पर नागरिकों की जेब से होने वाला खर्च 64.2 प्रतिशत से कम होकर 43.4 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा हेल्थकेयर पर सोशल सिक्योरिटी का खर्च कुल हेल्थ खर्च का 6 प्रतिशत से बढ़कर 9.9 प्रतिशत हो गया, जबकि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस 3.4 प्रतिशत से बढ़कर 9.2 प्रतिशत हो गया। लेकिन ये आंकड़े इस बात कोही दर्शाते हैं कि भुगतान कौन करता है, न कि खर्च कम होने को। कम प्राइवेट खर्च का मतलब यह हो सकता है कि लोग इलाज कराने की बजाय उसे छोड़ रहे हैं। पूरी न हुई ज़रूरत और सर्विस की उपलब्धता को साथ मिला कर खर्च का आकलन किया जाना चाहिए। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज का खर्च सरकारी अस्पतालों से लगभग आठ गुना ज़्यादा बताया जाता है। गंभीर बीमारियों के लिए यह फ़र्क और बढ़ जाता है। प्राइवेट अस्पताल अक्सर अच्छी देखभाल देते हैं, लेकिन ज़्यादा खर्च पर। सरकारी सुविधाएं गांव और कम आय वाले परिवारों के लिए पहुंच को बेहतर बनाती हैं, लेकिन अक्सर उनमें स्पेशलिस्ट, डायग्नोस्टिक्स, दवाएं और मरीज़ों की ठीक से देखभाल की कमी होती है। मरीज़ों को कम संसाधनों वाली सरकारी व्यवस्था और महंगे प्राइवेट इलाज में से किसी एक को चुनना पड़ता है। इंश्योरेंस बिल के कुछ हिस्सों को बांट सकता है, लेकिन सरकारी सप्लाई को अच्छा बनाने या खर्च को सीमित करने में नाकाम रहता है।

प्राइवेट अस्पतालों में इलाज का खर्च सरकारी अस्पतालों से लगभग आठ गुना ज़्यादा बताया जाता है। गंभीर बीमारियों के लिए यह फ़र्क और बढ़ जाता है। प्राइवेट अस्पताल अक्सर अच्छी देखभाल देते हैं, लेकिन ज़्यादा खर्च पर। सरकारी सुविधाएं गांव और कम आय वाले परिवारों के लिए पहुंच को बेहतर बनाती हैं, लेकिन अक्सर उनमें स्पेशलिस्ट, डायग्नोस्टिक्स, दवाएं और मरीज़ों की ठीक से देखभाल की कमी होती है।

संसदीय समिति ने खर्च कम करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल की सार्वजनिक व्यवस्था मज़बूत करने को उचित ही सबसे ज़रूरी माना है। उसने सुविधाओं को बढ़ाने तथा इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स को लागू करने की सलाह दी है ताकि सार्वजनिक अस्पताल भरोसेमंद डायग्नोस्टिक्स, दवाएं और आधुनिक सुविधाएं दे सकें। हालांकि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप से क्षमता बढ़ सकती है, लेकिन इसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट की जगह देना गलती होगी। रिपोर्ट कहती है कि सार्वजनिक अस्पतालों को इंश्योर्ड मरीज़ों का ज़्यादा इलाज करना चाहिए और हाई-क्वालिटी, कैशलेस देखभाल की गारंटी देनी चाहिए। भरोसेमंद सार्वजनिक प्रावधान नहीं होने से बढ़े हुए इंश्योरेंस प्रीमियम से सार्वजनिक कोष का प्राइवेट प्रोवाइडर्स को ट्रांसफर होने का खतरा बढ़ जाता है तथा सस्ती देखभाल की कमी बनी रहती है। इसलिए निजी क्षेत्र का नियंत्रण भी उतना ही ज़रूरी है। समिति ने रूटीन प्रोसीज़र और डायग्नोस्टिक्स के लिए चार्ज तय करने, भर्ती होने पर पूरी कीमत बताना पक्का करने और ज़्यादा बिलिंग की जांच करने और इंश्योरेंस विवादों को निपटाने के लिए एक फास्ट-ट्रैक ओम्बड्समैन बनाने का सुझाव दिया है। उसकी रिपोर्ट क्रॉस-सब्सिडी, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2010 को एक जैसा अपनाने, टियर क्वालिटी एश्योरेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट को दिखाने के लिए पैकेज रेट्स को रैशनलाइज़ का भी समर्थन करती है। इससे मनमानी कीमतों पर रोक लग सकती है, लेकिन इसके लिएपारदर्शी कॉस्ट डेटा, स्वतंत्र ऑडिट और अनियमितता पर भारी जुर्माने की ज़रूरत होती है। भरोसेमंद बेंचमार्क के बिना प्राइस कैप चोरी को बढ़ावा देते हैं। संसाधनों को भी ज़्यादा बराबरी से बांटना जरूरी है। समिति ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को कम सुविधाओं वाले ग्रामीण इलाकों में टर्शियरी फैसिलिटी की ओर मोड़ने और आउटपेशेंट ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक्स के लिए इंश्योरेंस बढ़ाने की सिफारिश की है।

हालांकि कंसल्टेशन, दवाएं और टेस्ट इलाज पर खर्च का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। फिर भी, इंश्योरेंस को पब्लिक केयर की जगह नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि उसे पूरक की तरह लेना चाहिए। प्रोवाइडर्स को नियंत्रित किए बिना इलाज के लिए फाइनेंस करने से लागत बढ़ती है और पहुंच कम होती है। इन्वेस्टमेंट, स्टाफिंग, दवाएं, रेफरल सिस्टम और प्राइस रेगुलेशन को समग्रता से आगे बढ़ाना होगा। नेशनल हेल्थ पॉलिसी (2017) ने 2025 तक पब्लिक हेल्थ खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन 2022-23 में यह सिर्फ 1.4 प्रतिशत बढ़ पाई है। हेल्थ पर खर्च 2017-18 में कुल सरकारी खर्च का 5.1 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 4.9 प्रतिशत रह गया। पब्लिक हेल्थ खर्च में केंद्र का हिस्सा भी 40.8 प्रतिशत से घटकर 36.3प्रतिशत हो गया, जबकि राज्यों का हिस्सा जरूर 59.1 प्रतिशत से बढ़कर 63.7 प्रतिशत हो गया। संसदीय समिति ने अब पांच सालों में इसे 5 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की है। पब्लिक प्रोविज़न में सुधार करना, निजी क्षेत्र में कीमतों को नियंत्रित करना, और आउटपेशेंट केयर को कवर करना आज की जरूरत है। इसके लिए इंश्योरेंस पर आधारित फाइनेंसिंग या अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से कुछ ज़्यादा की ज़रूरत है। सार्वजनिक निवेश बढ़ना चाहिए, और निजी प्रदाताओं और मरीज़ों के हितोंके बीच तालमेल के लिए पॉलिसी में कुछ नया करने की आवश्यकता है। किसी भी योजना की दीर्घकालिक सफलता केवल उसके अच्छे इरादों पर नहीं, बल्कि उसकी निरंतर और कठोर निगरानी पर निर्भर करती है। जब तक क्रियान्वयन के स्तर पर जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक भ्रष्ट तंत्र योजनाओं के लाभ में सेंध लगाता रहेगा।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

एक वोट की चोरी, पूरे लोकतंत्र की चोरी - क्या बिहार-बंगाल चुनाव दोबारा होंगे?

लोकतंत्र का आधार-मतदाता सूची पर संकट : 13 करोड़ सवाल और न्यायालय की वह टिप्पणी

मदन सिंह काला

भारत का लोकतंत्र इसलिए महान नहीं कि यहां चुनाव होते हैं, बल्कि इसलिए कि यहां हर नागरिक को, चाहे वह कितना भी गरीब हो, एक वोट का बराबर अधिकार है। आज उसी एक वोट के अधिकार पर सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। यदि मतदाता सूची से ही नाम गायब हो जाए तो फिर ईवीएम हो या मतपत्र, चुनाव किस काम का?

1. 1950-52 - जब नेहरू ने संस्था बनाई -15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद कई विदेशी विशेषज्ञों ने कहा था कि अनपढ़ देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सफल नहीं होगा। पंडित नेहरू ने 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग का गठन किया और सुकुमार सेन को पहला मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक 68 चरणों में पहला आम चुनाव मतपत्र से हुआ, 53 दल मैदान में थे, 14 को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त था। नेहरू ने एक सिद्धांत तय किया था - चुनाव आयोग कार्यपालिका से स्वतंत्र रहेगा, तभी लोकतंत्र बचेगा।

संविधान सभा में 15-16 जून 1949 को अनुच्छेद 324 पर लंबी बहस हुई थी। इसी महत्व को देखते हुए संविधान के अधिकांश प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, पर अनुच्छेद 324 को 26 नवंबर 1949 को ही - संविधान अंगीकृत होते ही - प्रभाव में ला दिया गया था। इसी प्रावधान के तहत आयोग 25 जनवरी 1950 को, गणतंत्र बनने से एक दिन पहले, अस्तित्व में आ गया।

2. इतिहास गवाह है - जब प्रधानमंत्री का चुनाव अवैध हुआ - 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने श्रीमती इंदिरा गांधी का रायबरेली लोकसभा चुनाव अवैध घोषित कर दिया। समाजवादी नेता राजनारायण की याचिका पर अदालत ने कहा - सरकारी मशीनरी और पद का दुरुपयोग हुआ। यदि एक लोकसभा का चुनाव रद्द हो सकता है, तो आज जब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम पर सवाल उठ रहे हैं तो क्या पूरे चुनाव की वैधता पर सवाल नहीं उठना चाहिए?

3. शेषन युग और एक से तीन का इतिहास - 1990 तक जब बूथ कैप्चरिंग, धन-बल और बाहुबल ने चुनाव को मजाक बना दिया था, तब टी.एन. शेषन आए और कहा - आयोग रबर स्टैंप नहीं है। उन्होंने आचार संहिता को सख्ती से लागू किया, फोटो पहचान पत्र ईपिक शुरू किया और सैकड़ों बूथों पर दोबारा चुनाव कराए।

उनकी सख्ती से तंग आकर सरकार ने 1993 में अध्यादेश लाकर एम.एस. गिल और जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति को दो और आयुक्त नियुक्त कर दिया। 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ में फैसला दिया - मुख्य चुनाव आयुक्त आयोग का अध्यक्ष है, मालिक नहीं। आयोग का काम जहां तक संभव हो सर्वसम्मति से होगा।

4. फॉर्म-6 और ईसीआईनेट पर दो बड़े सवाल - फाइलों पर दर्ज होने का दावा है कि चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने 16 मई 2026 को और सुखबीर सिंह संधू ने 13 अगस्त 2026 को फॉर्म-6 को बिना नियम संशोधन के बदलने पर लिखित आपत्ति की थी। फॉर्म-6 मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के तहत बना वैधानिक फॉर्म है। आरोप है कि उसे सिर्फ विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रशासनिक आदेश से बदलकर माता-पिता की नागरिकता और जन्म प्रमाण का अनिवार्य घोषणा पत्र जोड़ दिया गया।

दूसरा बड़ा सवाल ईसीआईनेट का है। कानूनन ईआरओ यानी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी ही वह वैधानिक अधिकारी है जो नाम जोड़ने, हटाने या सुधारने का अंतिम फैसला लेता है। लेकिन आरोप है कि ईसीआईनेट सॉफ्टवेयर के जरिए इस अधिकार को दिल्ली में केंद्रीकृत कर दिया गया है।

5. 13 करोड़ का सवाल और ईवीएम की गोपनीयता - कहा जाता है ईवीएम में गुप्त मतदान है, तो फिर सत्ता पक्ष को कैसे मालूम चल जाता है कि किस बूथ के किस मोहल्ले ने उन्हें वोट नहीं दिया और कुछ महीनों बाद विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर उसी क्षेत्र से हजारों नाम क्यों गायब हो जाते हैं? जन संगठनों के दावों के अनुसार पश्चिम बंगाल में ही 27.16 लाख नाम हटे, 22.21 लाख लोगों ने बहाली के लिए अपील की, और बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा से लेकर बंगाल तक कुल आंकड़ा 13 करोड़ से अधिक बताया जा रहा है।

6. नागरिकता कौन तय करेगा? - संविधान बहुत स्पष्ट है। नागरिकता तय करना गृह मंत्रालय, नागरिकता अधिनियम 1955 और न्यायालयों का काम है। चुनाव आयोग का काम जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 के तहत मतदाता सूची को शुद्ध करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने शर्त लगाई है कि किसी भी वैध मतदाता को बिना नोटिस और सुनवाई का मौका दिए नहीं हटाया जाएगा।

7. पश्चिम बंगाल आम चुनाव में 27.10 लाख पर टिप्पणी - 6 और 13 अप्रैल 2026 - पश्चिम बंगाल विधानसभा आम चुनाव 2026 से ठीक पहले विशेष गहन पुनरीक्षण में लगभग 60 लाख नामों पर तार्किक विसंगति का फ्लैग लगा। फाइलों पर दावा है कि इनमें से लगभग 27.10 लाख नामों को लेकर आपत्तियां आईं। न्यायिक अधिकारियों ने इन मतदाताओं को अयोग्य घोषित नहीं किया था, बल्कि इनमें से कई की अपीलें अपीलीय न्यायाधिकरणों में लंबित थीं। इन अपीलों के लिए 19 अपीलीय न्यायाधिकरण बनाए गए थे, जिनके समक्ष एक लाख से अधिक अपीलें लंबित बताई गईं। इसी लंबित स्थिति के कारण ये मतदाता 23 और 29 अप्रैल 2026 के आम चुनाव में मतदान नहीं कर सके।

इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ, अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन, ने 6 अप्रैल 2026 और 13 अप्रैल 2026 को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची की ओर से इन 27.10 लाख मतदाताओं के संदर्भ में यह मौखिक टिप्पणी रिपोर्ट हुई कि "यदि कोई इस चुनाव में वोट नहीं दे पाता, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका अधिकार हमेशा के लिए छीन लिया गया" और "जो इस बार वोट नहीं दे पाए, अगली बार दे लेंगे।" यह टिप्पणी लिखित आदेश नहीं थी। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि जब जीत का अंतर 2 प्रतिशत होता है और 15 प्रतिशत मतदाता अपील लंबित होने से वोट नहीं दे पाए तो लोकतंत्र का क्या होगा।

8. उपचुनाव पर वह दूसरी टिप्पणी - 28 सितंबर 2026 - इसी पीठ के सामने 28 सितंबर 2026 को पश्चिम बंगाल के उपचुनाव - 6 अक्टूबर को नंदीग्राम और रेजीनगर - के संदर्भ में जब वकीलों ने कहा कि हजारों अपीलें लंबित हैं, तो मौखिक टिप्पणी रिपोर्ट हुई - "ये केवल उपचुनाव हैं, बस।"

सोचिए, लोकतंत्र में क्या कोई अगली बार होती है? जो किसान आज अपनी फसल का दाम तय करने वाली सरकार चुनने से वंचित रह गया, उसके लिए अगली बार का क्या मतलब है?

9. निष्कर्ष - जागो मतदाता जागो - यह लड़ाई भाजपा बनाम कांग्रेस की नहीं, नागरिक बनाम व्यवस्था की है। ईवीएम से मतपत्र पर लौटने की बहस भी यहीं से जुड़ी है। जर्मनी की संवैधानिक अदालत ने 2009 में कहा था कि मतदाता को बिना विशेष ज्ञान के चुनाव की जांच कर सकना चाहिए।

संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया संसद के महाभियोग जैसी है। पर उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या संदिग्ध सूची पर बना चुनाव वैध है?

इसलिए हे मतदाता, जागो। अपना नाम जांचो, यदि कटा है तो फॉर्म 6 से दावा करो और रसीद लो, बीएलओ से लिखित में कारण मांगो, ईआरओ के पास अपील करो, ग्राम सभा में सवाल उठाओ। याद रखो, 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था - व्यक्ति को प्रोजेक्ट करना और चुनाव आयोग जैसी संस्था को ग्रहण लगा देना लोकतंत्र के लिए घातक है।

–मदन सिंह काला,
पूर्व आई.ए.एस अधिकारी

पटवों की हवेली : एक गली में बसा पांच हवेलियों का संसार

अचल दास डांगरा

जैसलमेर की पुरानी बस्ती की एक संकरी गली में खड़ी पटवों की हवेली को पहली नजर में देखने पर लगता है कि यह एक भव्य हवेली है। लेकिन इसकी कहानी इससे कहीं अधिक रोचक है। यह वास्तव में पांच हवेलियों का समूह है, जिसे व्यापारी गुमान चंद पटवा ने अपने पांच बेटों के लिए बनवाया था। राजस्थान पर्यटन के अनुसार इसका निर्माण 1805 ई. में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में करीब 50 वर्ष लगे।

पांच हवेलियां, एक विरासत -उन्नीसवीं सदी के शुरुआती वर्षों में जैसलमेर व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसी दौर में गुमान चंद पटवा ने अपने परिवार के लिए ऐसी स्थापत्य विरासत खड़ी करने की शुरुआत की, जो आज करीब दो शताब्दियों बाद भी देश-दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करती है।

सबसे खास बात यह है कि पांचों हवेलियां अलग-अलग होते हुए भी एक ही स्थापत्य संसार का हिस्सा दिखाई देती हैं। पीले बलुआ पत्थर से बनी इन इमारतों के झरोखे, जालियां, मेहराब, स्तंभ और बारीक नक्काशी जैसलमेर के शिल्पकारों की असाधारण कारीगरी का प्रमाण हैं। राजस्थान पर्यटन इसे जैसलमेर की सबसे बड़ी और सबसे अधिक नक्काशीदार हवेलियों में गिनता है।

पत्थर पर उकेरी गई बारीकी -आज के दौर में मशीनों और आधुनिक तकनीक से किसी भवन को आकर्षक बनाना आसान लग सकता है, लेकिन उस समय पत्थर को तराशकर उसमें इतनी महीन कारीगरी करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी।

हवेली के बाहरी हिस्से में बने झरोखे और जालियां ऐसी प्रतीत होती हैं, मानो पत्थर को कपड़े की तरह बुन दिया गया हो। अंदर आज भी कुछ स्थानों पर पुरानी चित्रकारी और कांच का काम दिखाई देता है। यही कारण है कि पटवों की हवेली केवल एक भवन नहीं, बल्कि जैसलमेर के व्यापारी समाज की समृद्धि, शिल्प परंपरा और स्थापत्य दृष्टि का दस्तावेज बन चुकी है।

संकरी गली में इतनी भव्यता- पटवों की हवेली की एक विशेषता उसका स्थान भी है। यह किसी विशाल खुले परिसर में नहीं, बल्कि जैसलमेर की संकरी पुरानी गली में स्थित है। राजस्थान पर्यटन भी इसके संकरी गली में स्थित होने का उल्लेख करता है। यही विरोधाभास इसे और आकर्षक बनाता है-गली संकरी है, लेकिन सामने आते ही हवेली की ऊंचाई, विस्तार और नक्काशी आंखों को ठहरा देती है। आज जब पर्यटक इस गली से गुजरते हैं तो उनके लिए यह केवल पत्थरों से बनी पुरानी इमारत नहीं रहती। हर झरोखा मानो उस समय की कहानी कहता है, जब जैसलमेर की हवेलियों में व्यापारिक समृद्धि के साथ कला और स्थापत्य भी फल-फूल रहे थे।

दो सौ साल बाद भी सवाल कायम-करीब दो शताब्दियां बीत चुकी हैं। समय बदला, शहर बदला, व्यापार के तौर-तरीके बदले और जैसलमेर विश्व पर्यटन के नक्शे पर आ गया। लेकिन पटवों की हवेली आज भी उसी स्वर्णिम पत्थर में अपने अतीत को संजोए खड़ी है।

आज यहां आने वाला पर्यटक न केवल नक्काशी देखता है, बल्कि अनायास यह सवाल भी करता है- 1805 में जब इस हवेली की नींव रखी गई होगी, तब जैसलमेर की यह संकरी गली कैसी रही होगी? तब न आधुनिक मशीनें थीं, न आज जैसी निर्माण तकनीक। फिर भी शिल्पकारों ने पत्थर में ऐसी कलाकारी कर दी, जिसे करीब 200 वर्ष बाद भी दुनिया देखने आती है। शायद यही किसी विरासत की सबसे बड़ी ताकत है-वह अपने समय को पीछे छोड़कर आने वाली पीढ़ियों से संवाद करती रहती है। पटवों की हवेली इसलिए सिर्फ पांच हवेलियों का समूह नहीं है। यह जैसलमेर के उस स्वर्णिम दौर की पत्थर में लिखी कहानी है, जिसमें व्यापार, परिवार, कला और शिल्प ने मिलकर एक ऐसी विरासत रची, जिसे आज पूरा जैसलमेर अपनी पहचान का हिस्सा मानता है।

–अचल दास डांगरा,
वरिष्ठ पत्रकार, जेठापाड़ा, जैसलमेर

स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत शपथ दिलाई

भीलवाड़ा, (निसं)। ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (रूडसेट), में देशभर में चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रशिक्षणार्थियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया तथा स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही प्रशिक्षणार्थियों को सतर्कता एवं नशा मुक्ति अभियान के प्रति जागरूक करते हुए समाज में सकारात्मक वातावरण बनाने का संकल्प दिलाया गया।

इस अवसर पर प्रशिक्षणार्थियों को स्वच्छता के महत्व, व्यक्तिगत स्वच्छता, संस्थान एवं आसपास के परिसर को स्वच्छ रखने तथा स्वच्छता के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया गया। प्रशिक्षणार्थियों ने स्वच्छता बनाए रखने, गंदगी नहीं फैलाने तथा अपने आसपास के लोगों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान संस्थान के निदेशक शैलेन्द्र सिंह धाकड़ ने कहा कि स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से आ ान किया कि वे प्रशिक्षण संस्थान के साथ-साथ अपने घर, गांव एवं आसपास के क्षेत्र में भी स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाएं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि निरंतर अपनाई जाने वाली जीवनशैली है। सतर्कता अभियान के तहत सतर्कता अधिकारी विनोद बैरवा ने प्रशिक्षणार्थियों को ईमानदारी, पारदर्शिता, जिम्मेदारी एवं अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को सतर्कता के महत्व के बारे में जानकारी दी।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 30 सितम्बर, 2026

अश्विन मास, कृष्ण पक्ष, चतुरथी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत-2083, भरणी नक्षत्र प्रातः 7:37 तक, वज्र योग रात्रि 12:20 तक, बालव करण दिन 2:56 तक, चन्द्रमा आज दिन 1:14 से वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति- सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-मेष, मंगल-कर्क, बुध-कन्या, गुरू-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 7:37 से सूर्योदय तक है। आज चतुर्थी और पंचमी का श्राद्ध है। आज कृत्तिका का श्राद्ध है।

श्रेष्ठ चौघड़िया- लाभ अमृत सूर्योदय से 9:20 तक, शुभ 10:48 से 12:17 तक, चर 3:14 से 4:43 तक, लाभ 4:43 से सूर्यास्त तक।

राहुकाल- 12:00 से 1:30 तक, सूर्योदय 6:22, सूर्यास्त 6:11

मेष
अपने अति आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यक्तिगत प्रयासों से महत्वपूर्ण कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। दिन के मध्यान्ह पश्चात मानसिक तनाव दूर होगा।

मिथुन
आर्थिक मामलों को प्राथमिकता से निपटाने का प्रयास करें। अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। दिन के मध्यान्ह घर-परिवार में अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। अनर्गल कार्यों में समय खराब होगा।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक सफलता से मनोबल बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। परिवार में सुविधाओं में वृद्धि होगी।

सिंह
नवीन कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। दिन के मध्यान्ह पश्चात अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।

तुला
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा, उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

वृश्चिक
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है। दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

धनु
परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आवश्यक मामलों में दुविधा बनी रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

मकर
घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक सुविधाओं में वृद्धि होगी।

कुंभ
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक योजना बनेगी। आज महत्वपूर्ण कार्यों में रचनात्मक सफलता मिलेगी।